DEPT of POL. SC.

लॉर्ड्स-सभा (House of Lords)

लार्ड्स सभा विश्व का सबसे प्राचीन तथा विधायी निकाय है विश्व में सम्भवतः यही निकाय है, जो आज आनुवंशिक है यह ब्रिटिश संसद का उच्च या द्वितीय सदन है

लॉर्ड्स सभा की रचना – लॉर्ड्स सभा विश्व की सबसे बड़ी विधायी निकाय है इसके सदस्यों की संख्या कॉमन-सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक है, जो घटती-बढ़ती रहती है आजकल इसके सदस्यों की संख्या 900 के लगभग है इसके सदस्य अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें निम्न ढंग से वर्गीकरण कर सकते है –

(1) राजवंशीय सदस्य – इनकी संख्या 3-4 होती है राजवंश के राजकुमार इस वर्ग में आते है सामान्यतः ये लार्ड्स-सभा के अधिवेशनों में न तो आते है और न भाग ही लेते है अतः इनका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है

(2) आनुवंशिक सदस्य – जो 90 प्रतिशत है ऐसे सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है पीयरों का पद कानून द्वारा प्रदान किया जाता है

(3) स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि-लॉर्ड्स – इस वर्ग में स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि लार्ड्स आते है वर्तमानकाल में स्कॉटलैंड के कुल 31 पीयर है, जो नई संसद के आमंत्रित होने पर लॉर्ड्स सभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए 16 प्रतिनिधि निर्वाचित करते है

(4) धार्मिक लॉर्ड्स – इस वर्ग में पादरी या धार्मिक लॉर्ड्स सम्मिलित है इनकी कुल संख्या 26 है ये अपने पद के कारण सदस्य होते है

(5) आयरलैंड के प्रतिनिधि-लॉर्ड्स – आयरलैंड के प्रतिनिधि आजकल सिर्फ 5 रह गए है

(6) न्यायकर्ता या विधिवेत्ता लॉर्ड्स – इनकी संख्या 9 है ये आजीवन लॉर्ड्स सभा के सदस्य होते है इनका चयन उन लोगों में से होता है, जिन्हें विशाल कानूनी ज्ञान

Scanned by TapScanner

तथा अनुसार रहता है इन्हीं लॉर्ड्स के आधार पर लॉर्ड्स सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के उच्चतम न्यायालय की अपीलें सुनती है

(7.) आजीवन सदस्य – लॉर्ड्स सभा का संगठन पूर्णतः आनुवंशिक है कभी-कभी प्रतिष्ठा या गौरव प्रदान करने के लिए विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों तथा समाजसेवकों को लॉर्ड्स सभा का सदस्य बनाया जाता है

⇒ लॉर्ड्स सभा के सदस्यों की योग्यता – 21 वर्ष से कम आयु व्यक्ति, विदेशी या कठोर अपराध में दंडित व्यक्ति लॉर्ड्स सभा के सदस्य नहीं हो सकते। 1958 के एक्ट के अनुसार, चार (4) कुलीन महिलाओं को भी इसकी सदस्यता प्रदान की गई है

⇒ विशेषाधिकार – लॉर्ड्स सभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है जैसे – इनको निर्णय व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संसद के अधिवेशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और वे सम्राट से व्यक्तिगत रूप में मिल सकते है

⇒ लॉर्ड्स सभा की प्रक्रिया – लॉर्ड्स सभा की बैठक सामान्यतः मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को होती है सोमवार को भी इसकी बैठक हो सकती है, लेकिन शुक्रवार को नहीं। सभी सदस्य लॉर्ड्स सभा में उपस्थित नहीं होते प्रायः 30-35 सदस्य ही उपस्थित रहते है कोरम की पूर्ति 3 सदस्यों की उपस्थिति से होती है और विधि पारित करते समय 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है

⇒ लॉर्ड चांसलर – लॉर्ड्स सभा का सबसे प्रमुख अधिकारी 'लॉर्ड चांसलर' होता है वह इस सदन का सभापति होता है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट करता है उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। सदस्यगण भाषण देते समय सभापति को संबोधित नहीं करते, वरन 'My Lords' कहकर संबोधित करते है

Scanned by TapScanner